अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति योजना

1:– कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति

कक्षा 1 से 5 तक की अल्पसंख्यक कल्याण की छात्रवृत्ति ग्रामनिधि में प्रेषित किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण की छात्रवृत्ति हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र भरवाया जाता है जो ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृति किया जाता है। स्वीकृति सूची को शिक्षा विभाग के माध्यम् से जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को धनराशि आंवटन हेतु भेजा जाता है। उक्त विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत शिक्षा समिति द्वारा वितरण की कार्यवाही की जाती है। इसका लेखा–जोखा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा संरक्षित किया जाता है। शहरी क्षेत्र विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकृत कर शिक्षा विभाग के माध्यम् से धनराशि की मांग की जाती है धनराशि प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा वितरित की जाती है। रूपये 60 मासिक दर से 720 रूपया एक मुश्त दिया जाता है।

2:– कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृत्ति

कक्षा 6 से 8 तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विद्यालय द्वारा स्वतः आवेदन पत्र भरवाया जाता है। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत कर शिक्षा विभाग के माध्यम् से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से धनराशि ग्राम निधि के खाते में हस्तानान्तरित की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा वितरण की कार्यवाही की जाती है। इसका लेखा–जोखा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा संरक्षित किया जाता है। शहरी क्षेत्र विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकृत कर शिक्षा विभाग के माध्यम् से धनराशि की मांग की जाती है धनराशि प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा वितरित की जाती है। रूपये 40 मासिक दर से 480 रूपया एक मुश्त दिया जाता है।

3:– कक्षा 9 से 10 तक छात्रवृत्ति

कक्षा 9 व 10 में प्रतिमाह 60 रूपया की दर से 720 रूपया वर्षभर की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। विद्यालय द्वारा छात्रों का फार्म भरवाया जाता है तथा स्वीकृत किया जाता है। शिक्षा विभाग के माध्यम् से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की मांग की जाती है। धनराशि प्राप्त होने पर एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम् से विद्यालय द्वारा धनराशि वितरित किया जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com